भाजपा विधायक कोली के बयान का विरोध

बीकानेर, (कासं)। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव डॉ. सीमा जैन ने राजस्थान विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान वैर (भरतपुर) से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली द्वारा दी गई टिप्पणी को महिलाओं का अपमान और सामंती मानसिकता का प्रतीक बताते हुए इसकी तीखी आलोचना की है।

डॉ. सीमा जैन ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा सदन के भीतर बजट की तुलना 'छोरा-छोरी' (बेटा-बेटी) के पैदा होने से करना और छोरी (बेटी) होने को विफलता या विपक्ष में बैठने का कारण बताना अत्यंत शर्मनाक है। यह बयान न केवल लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। बल्कि बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी नारों की पोल भी खोलता है। विधायक का यह कहना कि छोरा पैदा होने पर ही काम आता है और छोरी पैदा होने पर विपक्ष में बैठना पड़ता है। समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को पुख्ता करता है। विधानसभा जैसे पवित्र मंच से इस तरह की द्विअर्थी और पितृसत्तात्मक भाषा का प्रयोग राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति और लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। वहीं सत्ताधारी दल के विधायक का यह नजरिया महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवालिया निशान लगाता है।

'जन्मजात टेढे मेढे पांवों का पोन्सेटी विधि से इलाज संभव'

- पीबीएम ट्रोमा सेंटर सभागार में जन्मजात टेढे मेढे पांवों के क्लब फुट प्लास्टर प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
- क्लबफुट में राज्य में 7000 बच्चे उपचाराधीन है, जन्मजात टेढे मेढे पांवों से पीड़ित 1500 बच्चे उपचाराधीन हैं। जिन्हें प्लास्टर, जूते, उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं

बीकानेर, (कासं)। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज अस्थि रोग विभाग एवं क्योर इंडिया इंटरनेशनल के तत्वावधान में पीबीएम ट्रोमा सेंटर सभागार में जन्मजात टेढे मेढे पांवों के क्लब फुट प्लास्टर प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ट्रोमा सेंटर निदेशक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. बी. एल. खजोटिया ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि क्लबफुट एक जन्मजात विकृति है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में पोन्सेटी पद्धति से उपचार से शत-प्रतिशत सुधार संभव है। उन्होंने कहा कि पोन्सेटी विधि विश्व स्तर पर स्वीकृत, सरल एवं प्रभावी तकनीक है, जो बिना बड़े ऑपरेशन के बच्चों को सामान्य जीवन प्रदान कर सकती है।

उन्होंने क्योर इंडिया इंटरनेशनल एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकीय गुणवत्ता को सुदृढ़ करते हैं और युवा चिकित्सकों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यशाला में फ्लोरिडा (अमेरिका) के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ कार्लटन ब्रूस स्मिथ ने पिरानी स्कोरिंग प्रणाली, ब्रेस के प्रोटोकॉल एवं रिलेप्स की रोकथाम, क्लबफुट विकृति का वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए पोन्सेटी विधि द्वारा क्लबफुट के चरणबद्ध उपचार की सप्रयोग जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन्मजात टेढे मेढे पांवों का बिना ऑपरेशन पोन्सेटी विधि द्वारा क्रमिक प्लास्टर तकनीक द्वारा सफल इलाज किया जाता हैं जिससे वह बच्चा स्वस्थ होकर देश और समाज के विकास में भागीदार बन सके।

उन्होंने कहा कि बच्चों के माताओं का दायित्व है कि टेढे मेढे पांवों की विकृति ज्ञात होते ही इलाज के लिए संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सही मोल्डिंग तकनीक से बच्चों के टेड मेढे पांवों की जटिलताओं की रोकथाम की सकती है। ब्रूस स्मिथ ने पीबीएम ट्रोमा सेंटर में बच्चों के प्लास्टर किए और बच्चों की जांच की। ब्रूस स्मिथ ने बताया कि वे भारत के 5 राज्यों में क्लब फुट विकृति के प्लास्टर प्रबंधन पर प्रदर्शन कर चुके हैं।

राजस्थान में उनका पहला प्रदर्शन बीकानेर में हुआ है। कार्यशाला में इंग्लैण्ड के रेजिडेंट चिकित्सक हेनरी टिम्बर वर्गीस वुड भी शामिल थे। कार्यशाला में क्योर इंडिया इंटरनेशनल के (प्रोजेक्ट सक्सेस एवं क्वालिटी) राजस्थान कॉर्डिनेटर शुभाशीष गिरायन ने बताया कि क्लबफुट में राज्य में 7000 बच्चे उपचाराधीन है। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 दिवसीय कार्यक्रम में जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर के केन्द्रों के अलावा चूरू बाड़मेर, झालावाड़, भीलवाड़ा में क्लबफुट के नए केन्द्र प्रारंभ किए जायेंगे। ट्रोमा सेंटर में नियमित रूप से कार्यरत क्योर इंडिया इंटरनेशनल की जिला कॉर्डिनेटर क्लबफुट तकनीशियन कोमल वर्मा ने मरीजों की तैयारी एवं लाइव सत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। उन्होंने बताया कि जन्मजात टेढे मेढे पांवों से पीड़ित 1500 बच्चे उपचाराधीन हैं। जिन्हें प्लास्टर, जूते, उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कार्यशाला में वरिष्ठ लेखक अशफाक कादरी ने पीबीएम ट्रोमा सेंटर में क्लबफुट की सेवाओं की सराहना की।

कार्यशाला में रेजिडेंट चिकित्सकों, फैकल्टी, प्लास्टर तकनीशियन एवं नर्सिंग स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एल. के. कपिल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कार्यशाला से सरकारी अस्पतालों में उपचार की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी और क्षेत्र के पीड़ित बच्चों को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होती है।

निजी बस पलटी, यात्री सुरक्षित

बीकानेर। जिले के नापासर इलाके में मंगलवार दोपहर सिंथल गांव के पास एक निजी बस सड़क किनारे पलट गई। जियाक से बीकानेर की ओर जा रही बस के सामने अचानक एक कार आ जाने से चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। हादसे में यात्रियों को हल्की चोटें आईं और सभी को नापासर हॉस्पिटल पहुंचाया गया।

हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे सिंथल गांव के पास हुआ। बस जब चढ़ाई और गोलाई वाले हिस्से से गुजर रही थी, तभी सामने एक कार आ गई। चालक ने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन बस सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों में हलचल मच गई। बीकानेर के नापासर इलाके में मंगलवार दोपहर सिंथल गांव के पास एक निजी बस सड़क किनारे पलट गई। बस पलटने के बाद यात्रियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक दूसरे को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। बस के अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में यात्रियों ने आपसी सहयोग किया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकालने, पानी पिलाने और हॉस्पिटल भेजने में मदद की। कुछ घायलों को निजी वाहनों से भी नापासर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही नापासर से 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

सार-समाचार

अस्पतालों का किया निरीक्षण

बीकानेर, (कासं)। डिप्टी सीएमएचओ (स्वास्थ्य) एवं पूगल ब्लॉक प्रभारी डॉ. लोकेश गुप्ता ने उप जिला अस्पताल पूगल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सत्तासर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां) के अंतर्गत अधिकाधिक पैकेज बुक कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण सर्जरी एवं भर्ती सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश पीएमओ डॉ. रामस्वरूप ज्याणी को दिए। उप जिला अस्पताल में डॉ. गुप्ता ने आशा, एएनएम एवं नर्सिंग कर्मचारियों को होम बेस्ड पेलियेटिव केयर कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी प्रदान किया। साथ ही अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सत्तासर के निरीक्षण के दौरान गैर संचारी रोगों से संबंधित स्क्रीनिंग को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में ओपीडी-आईपीडी व्यवस्था, स्वच्छता, दवा उपलब्धता, एएनसी पंजीकरण, प्रसव सेवाएं, नियमित टीकाकरण एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग अधिकारी सुभाष एवं मल्टी टास्क वर्कर चंद्रपाल उपस्थित रहे। डॉ. गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें।

36-धर्मगुरुओं और अधिकारियों ने दिया टीकाकरण जागरूकता का संदेश

बीकानेर, (कासं)। समुदाय में नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा अभियान में प्रभावशाली व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप जिला चिकित्सालय बज्जू के प्रशिक्षण भवन में धर्मगुरूओं एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की एक दिवसीय आमुखीकरण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक प्रभारी डॉ. सुनील जैन, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवराज सिद्ध, विकास अधिकारी त्रिभुवन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मॉनिटर इंदरदान चारण उपस्थित रहे। दिशा समाज सेवी संस्था की ओर से जिला समन्वयक सलमान खान तथा ब्लॉक समन्वयक मोहम्मद साजिद, शंकरलाल एवं रोहिता पालीवाल ने टीकाकरण की महत्ता पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान शून्य डोज बच्चों की पहचान, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों के निराकरण पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि समय पर टीकाकरण बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने का प्रभावी माध्यम है और इसके लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। ब्लॉक प्रभारी डॉ. सुनील जैन ने अपने संबोधन में कहा कि धर्मगुरूओं एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन को सशक्त बनाया जा सकता है।

छह महीने बाद भी आवाज सुनते ही झुंड में से दौड़ा आया हिरण

- हिरणू नाम सुनते ही दर्जनों हिरणों के झुंड में घूम रहा हिरण दौड़ता हुआ आ गया, पास में खड़े युवक से अठखेलियां करने लगा। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए
- कॉन्स्टेबल श्रीभगवान बिश्नोई ने फरवरी, 2025 में इस हिरण के दो दिन के बच्चे को कुत्तों से बचाया था। छह महीनों तक हिरण के बच्चे को कॉन्स्टेबल ने अपने घर में रखकर इलाज करवाया था

नोखा, (कासं)। हिरणू नाम सुनते ही दर्जनों हिरणों के झुंड में घूम रहा हिरण दौड़ता हुआ आ गया। पास में खड़े युवक से अठखेलियां करने लगा। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। हिरण का प्यार देख युवक भी भावुक हो गया।

यह दृश्य बीकानेर के मुकाम के वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर का 15 फरवरी का है। इसका वीडियो सामने आया है। दरअसल राजस्थान पुलिस में तैनात कॉन्स्टेबल श्रीभगवान बिश्नोई ने फरवरी, 2025 में इस हिरण के दो दिन के बच्चे को कुत्तों से बचाया था। छह महीनों तक हिरण के बच्चे को कॉन्स्टेबल ने अपने घर में रखकर इलाज करवाया। जब हिरण स्वस्थ हो गया तो उसे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में छोड़ आए। कॉन्स्टेबल श्रीभगवान बिश्नोई के आवाज लगाते ही हिरण झुंड से निकलकर उनके पास आ गया। यह मामला नोखा क्षेत्र का है। शोभासर गांव निवासी कॉन्स्टेबल श्रीभगवान बिश्नोई को एक साल पहले गांव के पास दो दिन का एक नन्हा हिरण मिला था, जो कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था।

श्रीभगवान उसे अपने घर ले आए, उसका इलाज किया और लगभग 6 महीने तक अपने परिवार के साथ एक बच्चे की तरह उसका पालन-पोषण किया। परिवार ने उसे प्यार से हिरणू नाम दिया था। हिरणू परिवार से एक पल भी दूर नहीं रहता था। परिवार के सभी सदस्य उसका खास ध्यान रखते थे।

बिस्तर पर अपने साथ सुलाते थे। 6 महीने बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर श्रीभगवान बिश्नोई ने हिरण के बच्चे को सितम्बर में मुकाम के वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया। उन्होंने वहां तैनात कर्मचारियों को हिरणू की आदतों और देखभाल के बारे में बताया ताकि कर्मचारी उसकी अच्छे से देखभाल कर सकें। श्रीभगवान बिश्नोई के बच्चों ने नन्हें हिरण का नाम हिरणू रखा और वो भी उसके साथ खाते-पीते और सारा दिन खेलते। हिरणू भी उनके साथ पूरी तरह घूल मिल गया था। करीब 6 महीने बाद 15 फरवरी को ड्यूटी खत्म होने के बाद श्रीभगवान बिश्नोई रेस्क्यू सेंटर पहुंचे। उन्होंने जोर से हिरणू पुकारा। आवाज सुनते ही दर्जनों हिरणों के झुंड में घूम रहा वही हिरण दौड़ता हुआ उनके पास आ गया और प्यार जताने लगा। श्रीभगवान जब तक रेस्क्यू सेंटर में रहे हिरणू उनके आस-पास ही रहा। जब वो वहां से जाने लगे तो हिरणू उदास हो गया।

सुषमा बारूपाल के निधन पर शोक जताया

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्या सुषमा बारूपाल के निधन पर कांग्रेसजनों ने शोक प्रकट किया।

खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुकी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सुषमा बारूपाल का निधन 16 फरवरी की रात्रि को हृदयाघात से हो गया। उनके निधन की खबर से बीकानेर जिला कांग्रेस में शोक की लहर छा गई। सुषमा बारूपाल की देह आज दोपहर में एक बजे पंचतत्व में विलीन हुई उनकी पार्थिव देह को उनके पुत्र अरूण कुमार ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर उनकी पुत्रियां भी उनके साथ रही। दोपहर 12.30 बजे रथखाना स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें शहर अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, पूर्व न्यास अध्यक्ष मकसूद अहमद, प्रदेश कांग्रेस महासचिव जिया उर रहमान आरिफ, डेयरी अध्यक्ष नोपाराम जाखड़, ब्लॉक अध्यक्ष सुमित कोचर, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह सोढा, पूर्व मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग शामिल थे।

जिप्सम का अवैध खनन, 15 लाख का जुर्माना

- बज्जू के चक 9 एमआरएम में करोड़ों रूपए की आधुनिक मशीनें लगाकर जिप्सम का अवैध खनन, खान विभाग और पुलिस की टीमों ने मशीनें जब्त की

बीकानेर, (कासं)। माफिया गिरोह के लोगों ने बज्जू के चक 9 एमआरएम में करोड़ों रूपए की आधुनिक मशीनें लगाकर जिप्सम का अवैध खनन किया। मौके पर पहुंची खान विभाग और पुलिस की टीमों ने मशीनें जब्त कर ली और करीब 15 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।

बज्जू के चेक 9 एमआरएम में जिप्सम के अवैध खनन की सूचना मिलने पर खान विभाग और पुलिस की टीम में मौके पर पहुंची। मौके पर जिप्सम माफिया बैखौफ करोड़ों रूपए की आधुनिक मशीनों से अवैध खनन कर डंपर भर रहे थे। मौके पर एक एक्सकेवेटर, एक जेसीबी, दो डंपर जब्त कर रणजीतपुरा थाना पुलिस को सौंपे हैं। खनि अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित ने बताया कि मौके पर जिप्सम का कुल 483 टन अवैध खनन पाया गया। जब्त किए 4 वाहनों एवं 483 टन अवैध जिप्सम पर नियमानुसार 1506000 रूपए का जुर्माना लगाया है। कार्यवाही में फोरमैन अनिरूद्ध सिंह भाटी, एसएचओ रणजीतपुरा चन्द्रजीत सिंह भाटी शामिल थे।

हिस्ट्रीशीटर पर जान से मारने की धमकी का आरोप

- सोलर प्लांट में करोड़ों रुपए कमाई के लिए मशीनें लगाने का दबाव और नहीं लगाने पर जान से मारने की धमकी

बीकानेर, (कासं)। सोलर प्लांट में करोड़ों रूपए की कमाई के लिए मशीनें लगाने का दबाव डालने और नहीं लगाने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

इस संबंध में बज्जू पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर प्रदीप गोदारा पर आरोप लगाते हुए मुक्ताप्रसाद पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। फलोदी में खारा निवासी हाल सर्वोदय बस्ती तिरूपति अपार्टमेंट कोठारी अस्पताल के सामने सुभाष बिश्नोई की ओर से पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह सोलर का काम करता है। करीब 6 माह पूर्व हिस्ट्रीशीटर प्रदीप गोदारा ने जबरन अपनी हिटाची मशीन और एजेक्स लगवाए। आरोपी ने कहा कि उसके पास 100 करोड़ रूपए की संपत्ति है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मशीनों की एवज में पेमेंट मेरे खाते में करो जिससे पैसा एक नंबर का हो जायेगा। दबाव बनाकर उसने दो करोड़ रूपए लिए और बाद में ज्यादा पैसा मांगने लगा और 10 प्रतिशत मुनाफे के साथ पार्टनरशिप का दबाव डाला। दूसरी साइट पर उसकी मशीनें लगाने केश ट्रांजक्शन से इंकार किया तो प्रदीप ने अपनी गैंग के रामपुरा बस्ती निवासी धर्मपाल और अन्य लोगों को तिरूपति अपार्टमेंट में भेजा जहां ऑफिस में घुस गए और स्टॉफ को बंद कर बीकानेर छोड़ने की धमकी दी। प्रदीप ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी।

कृषि यंत्रों व उपकरणों की जांच व प्रशिक्षण की जानकारी ली

बीकानेर, (कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रोफेसर डॉ राजेन्द्र बाबू दुबे ने मंगलवार को फार्म इंप्रूमेंट्स एंड मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर (एफआईएमटीटीसी) का निरीक्षण किया।

केंद्र में कृषि यंत्रों व उपकरणों के संबंध में चल रही विभिन्न जांच और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी लेते हुए कुलगुरू ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय है कि यहां केन्द्र सरकार के मापदंडों के अनुरूप कृषि यंत्रों के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इससे न केवल कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों को लाभ मिला है बल्कि किसानों और विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण के समुचित अवसर मिल रहे हैं।

कुलगुरू ने यहां ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। डॉ दुबे ने कहा कि आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के कुशलतम उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्राथमिक आवश्यकता है। ड्रोन प्रशिक्षण कार्य को जल्द प्रारंभ किया जाए जिससे क्षेत्र के युवा किसानों को स्किल डवलप करने का मौका मिल सके। उन्होंने केन्द्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों के जरिए विश्वविद्यालय के लिए सृजित की जा रही आय की भी सराहना की।

अनुसंधान निदेशक डॉ एन. के. शर्मा ने कहा कि लेजर लेवलर प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट कोर्स प्राथमिकता से चालू करें। कस्टम हायरिंग सेंटर में निर्धारित नियमों की पालना की जाए।

इंजीनियर विपिन लड्ढा ने केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों पर आधारित प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि इस केन्द्र में विद्यार्थियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तथा फील्ड प्रशिक्षण का अवसर मिलता है। केंद्र प्रभारी डॉ विक्रम योगी ने बताया कि केंद्र द्वारा एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरर्स के साथ नियमित रूप से संपर्क कर नई तकनीक की मशीनों की टेस्टिंग का काम किया जा रहा है।

समस्त जांच केंद्र भारत सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किए जा रहे हैं। कृषि उपकरणों के रखरखाव, कार्य कुशलता का प्रशिक्षण मिलने से किसानों को आधुनिकतम कृषि तकनीक से जुड़ने में मदद मिल सकी है। कुलगुरू ने मशीनों से गुणवत्ता जांच प्रक्रिया तथा रिपोर्ट की जानकारी ली। उन्होंने सीड फर्टिलाइजर ड्रिल लैब, लेजर लेवलर परीक्षण सहित विभिन्न गतिविधियों की लाईव प्रकिया को देखा। कुलगुरु ने कहा कि किसानों तथा विद्यार्थियों के साथ नियमित प्रशिक्षण व संवाद आयोजित किये जाएं। इस अवसर पर केन्द्र के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक:- नियमन/2026/SPL-1 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 17.02.2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा चक 13 एलएनपी-II मुरब्बा नं. 2 के किला नं. 13, 14 में भूखण्ड संख्या 13, 14 पार्ट माप 20 इन्टू 70 फीट गोल्डन सिटी रिको, श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 25341 दिनांक 15.03.2024 को श्री ओमप्रकाश कूकना पुत्र श्री मनीराम कूकना के नाम से जारी है। श्री ओमप्रकाश कूकना पुत्र श्री मनीराम कूकना द्वारा भूखण्ड संख्या 13 बी का माप 3.7 इन्टू 70 फीट जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.01.2023 के द्वारा क्रय कर कुल भूखण्ड माप 23.7 इन्टू 70 फीट के अपने स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पट्टा एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 04.02.2026

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 17/18 के किला नं. 10 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री श्याम लाल पुत्र श्री बिछूराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री श्याम लाल पुत्र श्री बिछूराम निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 17/18 के किला नं. 10 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0'' गुणा 50'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

RajKaj Ref. No. 20288463 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमाक :- नियमन/2025/ राजकाज रे. नं. 18634667 दिनांक :- 04.11.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 03 में भूखण्ड का माप 24'-6'' गुणा 65'-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री मनफूल राम निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन/पट्टा सं. 15568 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा जारी किया गया था। आवेदक/पट्टाधारक द्वारा उक्त जारी पट्टे को निर्धारित समयावधि में उपपंजीयन कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवाया गया। आवेदक द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र उक्त भूखण्ड के जारी पट्टे को नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय आदेशानुसार 3 वर्ष अवधि के पश्चात पट्टा नवीनीकरण नहीं किया जाकर पुनः नया पट्टा जारी किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पट्टे के आधार पर नया पट्टा जारी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त नियमानुसार आवेदक श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री मनफूल राम निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जारी पट्टे के आधार पर चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 03 में भूखण्ड का माप 24'-6'' गुणा 65'-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमाक :- नियमन/2025/ राजकाज रे. नं. 18640448 दिनांक :- 04.11.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 14 में भूखण्ड का माप 30'-0'' गुणा 65'-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री प्रहलाद राय पुत्र श्री मनफूल राम निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन/पट्टा सं. 14571 दिनांक 21.04.2022 के द्वारा जारी किया गया था। आवेदक/पट्टाधारक द्वारा उक्त जारी पट्टे को निर्धारित समयावधि में उपपंजीयन कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवाया गया। आवेदक द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र उक्त भूखण्ड के जारी पट्टे को नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय आदेशानुसार 3 वर्ष अवधि के पश्चात पट्टा नवीनीकरण नहीं किया जाकर पुनः नया पट्टा जारी किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पट्टे के आधार पर नया पट्टा जारी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त नियमानुसार आवेदक श्री प्रहलाद राय पुत्र श्री मनफूल राम निवासी चक 15 एसजीआर, तहसील सूरतगढ श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जारी पट्टे के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 22 के किला नं. 14 में भूखण्ड का माप 30'-0'' गुणा 65'-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2026/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : .....

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 53/57 के किला नं. 19 में भूखण्ड संख्या का माप 30'-0''गुणा 40'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी हाउस नं. 123 डी गली नं. 04, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबं